न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **97/2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री एस.एस. राणावत निवासी मां भवन, हनुमान कॉलोनी, शास्त्रीनगर भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा

––अपीलार्थी **––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 23/12.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 26.11.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 180278 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 16.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को दिनांक 16.10.2020 को प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 03.12.2020 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020/827 दिनांक 08.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन–पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 09 तक में चाही गयी सूचना के संबंध में बिन्दुवार सूचना/जवाब में से बिन्दु संख्या 01, 08, 09 की सूचना हेतु कुल पृष्ठ संख्या 98 की कुल प्रतिलिपि शुल्क 196 रूपये कार्यालय में जमा कराने हेतु अपीलार्थी को सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक 711 दिनांक 09.11.2020 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भिजवायी गयी तथा शेष बिन्दु संख्या 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 का नियमानुसार जवाब उपर्युक्त पत्रांक द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया।
2. अपीलार्थी द्वारा पत्रांक 711 प्राप्ति के बाद कार्यालय में दिनांक 19.11.2020 को उपस्थित होकर प्रतिलिपि शुल्क राशि 196 रूपये जमा कराये गये जिसके पश्चात् सूचना तैयार कर सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक 777 दिनांक 24.11.2020 द्वारा बिन्दु संख्या 01, 08 एवं 09 की सूचना के कुल पृष्ठ संख्या 98 जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 23/12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा